छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 497/2006</u>

1. श्री कीर्तन मेश्राम, - अपीलार्थी
पंच, वार्ड कमांक-1,
ग्राम पंचायत- अंजोरा (ख)
विकासखण्ड- दुर्ग
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी एवं - प्रति अपीलार्थी
सरपंच, ग्राम पंचायत- अंजोरा (ख)
विकासखण्ड- दुर्ग
जिला- दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 14 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.04.2007 के द्वारा यह आदेश दिये थे कि ााशि 100/- रूपये तक की 50 पृष्ठ की जानकारी निरीक्षण करके स्पष्ट सूचित करे और 15 दिवस में नि:शुल्क प्रदान की जावे तथा शेष का शुल्क तीन दिवस में जमा करने पर आगामी 15 दिवस में प्रदाय किया जावे । इसके पश्चात् आवेदक ने दिनांक 04.06.2007 को यह आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्हें 26 पृष्ठ की छायाप्रति दी गई एवं शेष की नहीं दी है साथ ही राशि 500/- रूपये जमा करा दिये गये और सरपंच एवं सचिव द्वारा मांगी जानकारी नहीं दी गई है । अत: आयोग द्वारा सरपंच को दस हजार रूपये का कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये गये, जो दिनांक 18.07.2007 को जारी किया गया, जिसका उत्तर सरपंच द्वारा 31.07.2007 को प्रस्तुत किया गया ।

2/ उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में पूर्व में जानकारी लेने से इंकार करने की जानकारी दी गई । अत: आयोग के समक्ष ही उस दिन जानकारी दिलवाई गई, किन्तु प्राप्त जानकारी का अवलोकन करने पर बिन्दु कमांक 7, 8 एवं 9 की जानकारी नहीं मिलना बताया गया है । इस संबंध में सरपंच का

यह कहना था कि उक्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया जा रहा है, अतः वह जानकारी देना संभव नहीं है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है । अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में सुक्ष्म जांच कर इन बिन्दुओं से संबंधित कार्य यदि ग्राम पंचायत द्वारा कराया जा रहा है और उसका रिकार्ड ग्राम पंचायत में है तो 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय कराई जावे । यदि यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा नहीं कराया जाकर किसी अन्य संस्था द्वारा कराया जाता है और उसका रिकार्ड भी उसी संस्था के पास है तो आवेदक को उसी संस्था के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।

3/ चूंकि आवेदक को अपूर्ण जानकारी आयोग के पूर्व आदेशानुसार प्रदाय की जा चुकी है और प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जानकारी लेने से इंकार किया गया था । अतः उक्त प्रकरण में जन सूचना अधिकारी/सरपंच की कोई दुर्भावना नहीं होने के कारण आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । साथ ही प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त